उत्तराखण्ड परिवहन निगम, मुख्यालय,
1, राज विहार, चकराता रोड़, देहरादून।

पत्रांक- 151 / III(1)–संविदा दैनिक वेतन नियमितीकरण(5–10वर्ष)–सूची–15 दिनांक 24 जुलाई,2015

1– मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
नैनीताल क्षेत्र।

2– समस्त सहायक महाप्रबन्धक
हल्द्वानी, रामनगर, रूद्रपुर, अल्मोडा,रानीखेत
उत्तराखण्ड परिवहन निगम,
नैनीताल क्षेत्र।

विषयः– उत्तराखण्ड परिवहन निगम में दिनांक 30–12–2013 से 5 वर्ष अर्थात दिनांक 30–12–2008 एवं इससे पूर्व निगम में नियुक्त संविदा कार्मिकों के विनियमितीकरण किये जाने विषयक।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय के पत्रांक 05 दिनांक 9 अप्रैल, 2015 के द्वारा समस्त मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)/सहायक महाप्रबन्धक, देहरादून/नैनीताल/टनकपुर क्षेत्र को निर्देशित किया गया कि विनियमितीकरण विनियमावली–2011 एवं 2013 के अन्तर्गत किसी संविदा कार्मिक का प्रकरण शेष तो नहीं रह गया है। उक्त के अतिरिक्त यह भी परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये कि पूर्व में किसी संविदा कार्मिक का प्रकरण विनियमितीकरण नियमावली–2011 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था, परन्तु तत्समय उसमें कतिपय कारणो से अनुमति नहीं दी गयी थी लेकिन वर्तमान में वह संविदा कार्मिक विनियमितीकरण विनियमावली–2013 के अन्तर्गत अर्हता पूर्ण कर रहा है, से सम्बन्धित ऐसे शेष रहे संविदा कार्मिको के प्रकरणो को मण्डलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत कर निर्धारित प्रारूप में समिति की संस्तुति सहित प्रस्ताव निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

A- उक्त के सम्बन्ध में सहायक महाप्रबन्धक (कार्मिक), देहरादून ने अपने पत्र संख्या–2337 दिनांक 3 जुलाई,2015 के द्वारा अवगत कराया गया है कि देहरादून मण्डल में विनियमितीकरण हेतु कोई अर्ह कार्मिक शेष नहीं है। साथ ही मण्डलीय प्रबन्धक(संचालन), टनकपुर क्षेत्र ने अपने पत्र संख्या–238 दिनांक 3–7–2015 के द्वारा अवगत कराया गया है कि कोई भी संविदा कार्मिक निगम में विनियमितीकरण हेतु शेष नहीं है।

समिति द्वारा मण्डलीय प्रबन्धक(संचालन)/सहायक महाप्रबन्धक नैनीताल क्षेत्र के द्वारा नैनीताल क्षेत्र में शेष रहे विनियमितीकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव के अवलोकन के पश्चात निम्न प्रतिबन्धो के साथ अनापत्ति दिये जाने की सस्तुति की गईः–

1– संविदा कार्मिकों के विनियमितीकरण से पूर्व सम्बन्धित मण्डलीय प्रबन्धक एवं सहायक महाप्रबन्धक उनके सभी मूल अभिलेखों का सत्यापन कर लें एवं विनियमितीकरण नियमावली–2013 में दिये गये प्राविधानों अर्थात नियम 4 (1) (2) (3) (4) की परिधि में विनियमितीकरण प्रस्ताव का पुनः सत्यापन कर लिया जाय। आप द्वारा विनियमितीकरण हेतु प्रस्तावित कार्मिकों के विरूद्व किसी भी अनियमितता के लिए नियुक्ति प्राधिकारी एवं मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन) संयुक्त रूप से उत्तरदायी समझे जायेगें।

2– उपरोक्त क्र0सं0–1 में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि जिन संविदा कार्मिकों के विनियमितीकरण हेतु अनापत्ति दी जा रही है उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान कर लिया जाये एवं उनसे नियमानुसार एक शपथ पत्र इस आशय का ले लिया जाये कि जो अभिलेख उनके द्वारा दाखिल किये गये है अथवा दाखिल किये जायेगें वह सही है तथा उनके फर्जी अथवा असत्य पाये जाने की स्थिति में उनकी सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी एवं उनके विरूद्व अभियोग भी दाखिल किया जा सकता है। संविदा कार्मिको द्वारा जो अभिलेख दाखिल किये जायें वह उनके द्वारा स्वप्रमाणित (तिथि के साथ) किये जायें।

3– यह अनापत्ति मण्डलीय प्रबन्धक/सहायक महाप्रबन्धक, नैनीताल के स्तर से उपलब्ध कराये गये अभिलेखो में अंकितं तथ्यों एवं उनकी संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुये मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा दी जा रही है। अतः उक्त अभिलेखों की सत्यता का उत्तरदायित्व मण्डलीय स्तर पर निर्धारित किया जाता है तथा उसमें किसी प्रकार की त्रुटि/अनियमितता हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होगें।

4– समिति द्वारा यह भी संस्तुति की गई कि मुख्यालय स्तर से मण्डलीय प्रबन्धकों को संविदा कार्मिको की नियुक्ति की औपचारिकताए पूर्ण करने हेतु जो प्रोफ्रार्मा पूर्व में भेजा गया है, उसी प्रारूप में संविदा कार्मिको को औपचारिकतायें पूर्ण करने हेतू अपने कार्यालय में बुलायें एवं सभी औपचारिकताये पूर्ण होने के उपरन्त ही नियुक्ति की कार्यवाही की जाये।

5– नियुक्ति प्राधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगें कि सभी संविदा कार्मिको का पुलिस सत्यापन एवं सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाये तथा स्वास्थ्य परीक्षण/पुलिस सत्यापन की रिर्पोट के आधार पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जाये। **किसी भी दशा में स्वास्थ्य परीक्षण एवं पुलिस सत्यापन कराये बिना नियुक्ति की कार्यवाही न की जाये।** इसके अतिरिक्त नियुक्ति प्राधिकारी सम्बन्धित संविदा कार्मिको व्दारा उपलब्ध कराये गये सेवा सम्बन्धी स्वप्रमाणित एवं दिनांक सहित शैक्षिक योग्यता एवं अन्य अभिलेखो का सत्यापन नियुक्ति के पश्चात अधिकतम एक माह के अन्दर कराना सुनिश्चित करेगें। निगम मुख्यालय स्तर से समय–समय पर किये जाने वाले निरीक्षण में इसे अनिवार्य रूप से देखा जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें एवं उनके साथ–साथ मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन) भी उत्तरदायी होगें।

6– विनियमितीकरण किये जाने वाले सभी संविदा/दैनिक वेतन कार्मिको से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाये कि उनके व्दारा किसी न्यायालय में संविदा/दैनिक वेतन नियुक्ति/नियमितीकरण हेतु कोई वाद दायर नहीं किया गया है। यदि दायर किया गया है तो सम्बन्धित संविदा/दैनिक वेतन कार्मिको उक्त वाद को तत्काल न्यायालय से वापस लेने को सहमत होगें।

7– जिन संविदा चालकों/परिचालको के विनियमितीकरण हेतु अनापत्ति दी जा रही है उनके सम्बन्ध में उत्तराखण्ड परिवहन निगम में प्रचलित नियमावली अन्तर्गत निम्न अर्हतायें अवश्य देख ली जायें तथा नियमानुसार मण्डलीय चयन समिति के माध्यम से चयन की प्रकिया पूर्ण की जाये।

चालक पद हेतु–

(क)– अभ्यर्थी को कक्षा 8 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(ख)– अभ्यर्थी को भारी वाहन चलाने का 5 वर्ष पुराना लाईसेन्स जिसमें सार्वजनिक सेवा यान चलाने का कम से कम 3 वर्ष पुराना पृष्ठांकन एवं एक वर्ष का हिल पृष्ठांकन आवश्यक होगा।

ऊँचाई:–

(अ)– मैदानी क्षेत्र के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए 5 फिट 5 इंच।

(ब)– पहाड़ी क्षेत्र के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए 5 फिट 2 इंच।

परिचालक पद हेतु–

इन्टरमीडिएट या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष अन्य परीक्षा या इससे उच्च परीक्षा।

नियमित किये जा रहे कार्मिकों के सम्बन्ध में वह समस्त औपचारिक्तायें पूर्ण करायी जाये जैसा कि उनकी प्रथम नियुक्ति के सम्बन्ध में नियमावली के विहित प्राविधानों के अनतर्गत निर्धारित है।